कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / सी / इन्सपायर अवार्ड / 2026–27–57953–10050643 दिनांक :– यथा हस्ताक्षर

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ।
समस्त पीईईओ / यूसीईईओ।

विषय :– INSPIRE–MANAK योजनान्तर्गत सत्र 2026–27 के लिए विद्यार्थियों के ऑनलाईन नॉमिनेशन प्रारंभ करवाने हेतु दिशानिर्देश।

प्रसंग :– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक DST/S&TCB/INSPIRE-MANAK/NOMINATION/2025-26 DATE 13-07-2026

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम लेख है कि INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) योजना, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत INSPIRE–MANAK (Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge) कार्यक्रम विद्यार्थियों को उनके रचनात्मक और नवीन विचारों के लिए मान्यता प्रदान करता है और उन्हें प्रोटोटाइप और उत्पाद विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। INSPIRE–MANAK कार्यक्रम 2026–27 में प्रदेश के अधिकाधिक विद्यार्थियों का नामांकन करवाने के लिये निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं–

- आपके क्षेत्राधीन सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयो में अध्ययनरत कक्षा 6–12 तक के विद्यार्थियों में सृजनात्मक नवाचारी सोच रखने वाले विद्यार्थियों के नवोन्वेषी प्रोजेक्ट्स का इन्सपायर अवार्ड–मानक योजना के तहत् नॉमिनेशन करवाया जाना है।
- वर्ष 2026–27 हेतु विद्यार्थियों के लिए ऑनलाईन नॉमिनेशन शुरू हो चुके है ऑनलाईन नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2026 है।
- अंतिम तिथि के बाद पोर्टल पर कोई नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए।
- प्रत्येक विद्यालय से विद्यार्थियों के श्रेष्ठ मौलिक सृजनात्मक विचारों जो कि सामाजिक आवश्यकताओं एवं उपयोगिता की कसौटी पर खरे उतरते हैं में से 05 श्रेष्ठ नवाचारी विचारो का नॉमिनेशन अनिवार्यतः करवाना सुनिश्चित करें।

- इसके लिये यह आवश्यक हैं कि सभी फील्ड ऑफिसर्स उनके अधीनस्थ सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, विज्ञान शिक्षकों, और अन्य संबंधित स्टाफ को INSPIRE-MANAK योजना के बारे में पूर्ण जानकारी देवे।
- कार्यक्रम के विषय में जानकारी अग्रांकित लिंक्स से प्राप्त की जा सकती है–

स्कूल प्राधिकरण के लिए उपयोगकर्ता गाइड वीडियो	https://youtu.be/n7vB9CGzHuc?si=F61mABKVu-rEQ1-Y
INSPIRE (FAQ)	https://inspireawards-dst.gov.in/userP/faqs.aspx

INSPIRE अवार्ड के लिए नामांकन के चरण –

1. E-MIAS पोर्टल पर लॉगिन:

   - सबसे पहले, https://www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। अपने विद्यालय का यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करें।

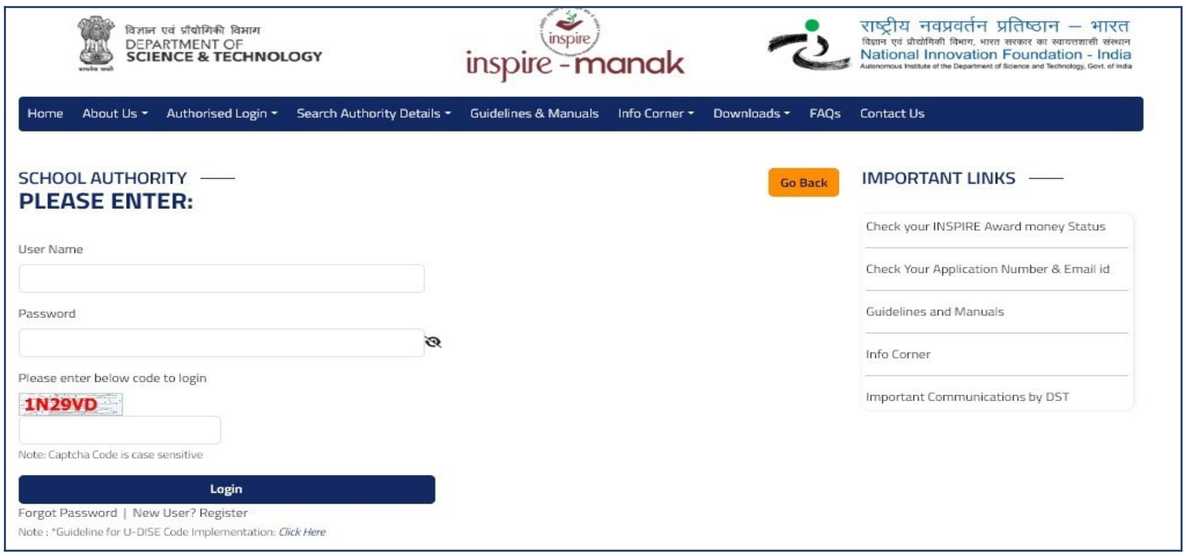

   - जो विद्यालय E-MIAS पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, के संस्था प्रधान अपने विद्यालय का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन उक्त पोर्टल पर आवश्यक रूप से तत्काल करावें। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्राधीन कोई विद्यालय रजिस्ट्रेशन से वंचित नही रहे।
   - रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए U-DISE Code को अनिवार्य रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया है, क्योकि ये एक अद्वितीय कोड प्रत्येक विद्यालय के लिए Unique Code है।

- प्रत्येक विद्यालय E-MIAS Portal पर अपनी लॉगिन से (U-DISE Code, E-Mail Verification & Other Important details etc.) का अपडेशन एवं सत्यापन करवाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

2. विद्यार्थियों का नॉमिनेशन कैसे करें :

- लॉगिन करने के बाद, डैशबोर्ड पर "New Registration" या "नया नामांकन" विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा जिसमें विद्यार्थी का विवरण भरना होगा।

3. विद्यार्थी के नवाचारी विचार का विवरण भरें:

- विद्यार्थी के सृजनात्मक/नवाचारी विचार का शीर्षक दर्ज करें।
- इसके पश्चात् सृजनात्मक/नवाचारी विचार का संक्षिप्त विवरण यथा जिसमें विचार का उद्देश्य, समाज के लिए इसकी उपयोगिता, आदि शामिल हो।

4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें व सबमिट करे :

- विद्यार्थी का पहचान पत्र (जैसे कि आधार कार्ड), हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। अन्य समर्थन दस्तावेज़ (जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट या विचार का विस्तृत विवरण) अपलोड करें।
- पोर्टल पर दर्ज विवरण की समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि समस्त जानकारी सही और पूर्ण है। प्रत्येक दर्ज विवरण सही पाए जाने पर "Submit" बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद एक रसीद संख्या प्राप्त होगी जिसे भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
- विद्यार्थियो को ऑनलाईन नॉमिनेट करते समय उसके द्वारा प्रस्तुत सृजनात्मक/नवाचारी विचार का सारांश अपलोड करना भी आवश्यक है। सारांश वर्ड या पीडीफ मे हो सकता है। इसे अपलोड न करने की स्थिति मे विद्यार्थी के नवाचारी विचार का चयन योजना मे नहीं किया जा सकेगा।
- यदि नामांकन प्रक्रिया के दौरान विद्यालयों को किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, तो वह अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। तकनीकी सहायता के लिए E-MIAS पोर्टल के हेल्पडेस्क पर संपर्क करें।

5. प्रोत्साहन :

- समस्त चयनित नवाचारी विचारों के प्रस्तुतकर्ता विद्यार्थियों के बैंक खातों में विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा रु. 10,000/- डीबीटी से जमा करवाते हुए चयनितों की सूची समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-मुख्यालय के E-MIAS Portal लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जावेगी।
- यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों द्वारा उपलब्ध करवाया गया बैंक खाता आधार सिडेड एंव एक्टिव स्थिति में होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सहजता पूर्वक राशि हस्तांतरित की जा सकेगी।

कार्य एवं दायित्वः

"INSPIRE-MANAK" कार्यक्रम की विस्तृत योजना तथा उपर्युक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय (JD/CDEO/ DEO/CBEO) तथा विद्यालयों के संस्था प्रधानों को क्रियान्वयन कार्ययोजना तैयार करनी है तथा पत्र में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक विद्यालय से 05 श्रेष्ठ सृजनात्मक/नवोन्मेषी विचारो का नोमिनेशन अनिवार्यतः करवाया जाना है। कार्यक्रम की जिलेवार समीक्षा एवं संबंलन के संबंध में विभिन्न स्तरो पर करणीय कार्य निम्नानुसार हैं-

संयुक्त निदेशक स्तर पर करणीय कार्य :-

- संयुक्त निदेशक, संभाग स्तर पर अपने कार्यालय में "INSPIRE-MANAK"कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी बनाकर संभाग की प्रति दिवस सुदृढ मॉनिटरिंग करेंगे।
- इंस्पायर अवार्ड नोमिनेशन प्रभारी का नाम, पद व मोबाइल नंबर इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- प्रभारी अधिकारी प्रति दिवस संभाग वाले किसी न किसी एक विद्यालय के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉल द्वारा जुड़कर उनसे "INSPIRE-MANAK" कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबलन प्रदान करेंगे।
- सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों में अधिकाधिक नवाचार लक्ष्य पूरा करने व पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु पाबंद करेंगे।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर करणीय कार्य -

- उक्तानुसार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भी अपने कार्यालय के नोडल अधिकारी नियुक्त करे।
- अधीनस्थ जिलाधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा संयुक्त निदेशक कार्यालय से समन्वय कर अधिकाधिक नॉमिनेशन करवाएं।

जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर करणीय कार्य : -

- सभी जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ समस्त विद्यालय निर्धारित अवधि में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करें।
- प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम 5 सृजनात्मक/नवाचारी आइडिया अपलोड किए जाने सुनिश्चित करावें।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्तर पर करणीय कार्य :-

- समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर भी इंस्पायर अवार्ड के प्रभावी प्रबोधन के लिए ब्लॉक स्तर पर एक प्रभारी मनोनीत करें।
- ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारी ब्लॉक स्तर की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्वयं भी अपने ब्लॉक के समस्त विद्यालयों की मॉनिटरिंग करें। वे यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों को नामांकन प्रक्रिया की पूरी जानकारी है और वे समय पर इसे पूरा करें।

PEEO/UCEEO स्तर पर करणीय कार्य :-

- कार्यक्रम की सतत् प्रबोधन हेतु PEEO/UCEEO स्वयं नोडल अधिकारी रहेगें।
- अधीनस्थ विद्यालयों का नियमित संबंलन करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय INSPIRE-MANAK योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाकर अधिकतम 5 नवाचारी आईडिया अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- वे विद्यालयों के साथ निरंतर संपर्क में रहें और किसी भी समस्या का समाधान करें।

संस्था प्रधान स्तर पर करणीय कार्य :-

- संस्थाप्रधान विद्यालय स्तर पर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में एक शिक्षक को इंस्पायर प्रभारी नियुक्त करें जो कि इन्सपायर अवार्ड-मानक योजना से सम्बधित सम्पूर्ण गतिविधियों के संचालन एवं मार्गदर्शन हेतु उतरदायी होगा।
- संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय स्तर पर नॉमिनेट किये गये 5 श्रेष्ठ नवाचारी आईडिया का चुनाव विद्यालय स्तर पर करवाये गये आईडिया कॉम्पीटिशन में से हुआ हो तथा पोर्टल पर विद्यार्थियों के आइडिया की मौलिकता व सृजनात्मकता को भलीभांति जांच करनें के उपरान्त ही अप्रूव करें। आइडिया इन्टरनेट या यूटयूब या किसी आउटसोर्स करने वाली संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करवाये हुए नहीं हो।

- योजना के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें।

अधीनस्थ समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता हैं कि निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व प्रत्येक विद्यालय से विद्यार्थियों के 05 श्रेष्ठ नवाचारी विचारों का नोमिनेशन अनिवार्यतः करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ) समग्र
शिक्षा अभियान (SMSA)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, श्रीमान् शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
2. सलाहकार और प्रमुख, इंस्पायर मानक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 13.07.2026 के क्रम में।
3. डॉ. अरविंद सी रानाडे ,निदेशक, National Innovation foundation (NIF),Gandhinagar(Gujarat).
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।

Signature Not Verified

Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :16-07-2026 04:42:50

RajKaj Ref No.:
23433404